अध्याय

पारिभाषिक शब्दावली

- **आर्थिक संवृद्धि:** संवृद्धि किसी व्यक्ति, समूह, क्षेत्र या देश में होने वाली मात्रात्मक प्रगति को कहते हैं। अर्थशास्त्री इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में होने वाली मात्रात्मक प्रगति को दर्शाने के लिए करते हैं और यह हमेशा तुलनात्मक रूप से ही प्रयुक्त होता है। उदाहरण के तौर पर किसी देश की आय का, सड़क की लम्बाई का, इस्पात के उत्पादन इत्यादि की मात्रा का पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ जाना ही 'आर्थिक संवृद्धि' है। अर्थात् मात्रात्मक आर्थिक प्रगति ही आर्थिक संवृद्धि है। यह संवृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही हो सकती हैं।
- **आर्थिक विकास:** विकास शब्द मात्रा के साथ-साथ गुण का भी बोध कराता है। किसी व्यक्ति, समूह या देश की अर्थव्यवस्था में अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो मात्रात्मक प्रगति के साथ-साथ वहां गुणात्मक प्रगति भी हो रही होगी। मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति ही 'विकास' है। इसका अर्थ है कि विकास में संवृद्धि समाहित है। अत: विकास, संवृद्धि से ज्यादा व्यापक अवधारणा है। जहां किसी देश के सकल उत्पादन का बढ़ना संवृद्धि दर्शाता है वहीं उस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सुरक्षा आदि की बेहतरी उसके विकास का द्योतक है।
- **दोहरी अर्थव्यवस्था:** जब किसी अर्थव्यवस्था में एक या एक से अधिक क्षेत्रों में दो विपरीत स्थितियां एक साथ अस्तित्व में रहे तो यह स्थिति दोहरी अर्थव्यवस्था कहलाती है जैसे-**कृषि क्षेत्र में:** एक ओर पंजाब एवं हरियाणा के किसानों का जीवन स्तर उच्च है और वे कृषि सम्पन्न राज्य है, तो वहीं दूसरी ओर उड़ीसा, पं. बंगाल में कृषको की स्थिति दयनीय है। **उद्योग क्षेत्र में:** कुछ उद्योग तकनीक एवं पूंजी प्रधान है तो कुछ उद्योग श्रम प्रधान। **आधारभूत संरचना के क्षेत्र में:** कुछ राज्यों में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है तो कुछ राज्यों में आधारभूत संरचना की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
- **निवेश:** वास्तविक पूंजी में होने वाली शुद्ध वृद्धि को **'निवेश'** कहते है। वर्तमान में प्रतिभूतियों, बॉण्ड्स, ऋणपत्र अंश पत्र आदि को खरीदना निवेश नहीं कहा जा सकता। यह तो पूंजी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण मात्र है। निवेश द्वारा देश की पूंजीगत वस्तुओं के भौतिक भण्डार में वृद्धि होनी चाहिए अर्थात् निवेश का अर्थ है, नये कारखानों, सड़कों, रेल, पुल, बांध् आदि का निर्माण करना।

ध्यातव्य हो कि

पूंजी और निवेश में अन्तर होता है। पूंजी से अभिप्राय पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान कुल भण्डार से है, जबकि निवेश का अर्थ इस भण्डार में एक वर्ष में होने वाली वृद्धि से होता है। इस प्रकार निवेश से अभिप्राय किसी समय अवधि में पूंजी की मात्रा में वृद्धि से है।

- **बचत:** मौद्रिक आय का वह भाग बचत कहलाता है, जिसे उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता। बचत की दर व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। आय तथा बचत में 'प्रत्यक्ष धनात्मक सम्बन्ध' होता है। अन्य बाते समान रहने पर, यदि आय बढ़ती है, तो बचत भी बढ़ती है।
- **पूंजी निर्माण:** बचत और निवेश परस्पर सम्बन्धित क्रियाऐं है। एक में वृद्धि दूसरे में वृद्धि का कारक बनती है। 'बचत' अधिक निवेश के साधन प्रस्तुत करती है अर्थात् बचत की मात्रा जितनी अधिक होगी निवेश का स्तर भी उतना ही अधिक हो सकता है। बचत और निवेश में वृद्धि की इस प्रक्रिया को 'पूंजी निर्माण' कहते हैं।
- **पूंजी उत्पादन अनुपात:** पूंजी उत्पाद अनुपात से अभिप्राय पूंजी की उस मात्रा से है जो कि उत्पाद की एक इकाई प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है।

उदाहरण Capital Output
10 : 1

अर्थात् उत्पाद की एक इकाई प्राप्त करने के लिए औसतन पूंजी की 10 इकाईयों की आवश्यकता है और यदि यही अनुपात 20:1 का हो

जाये तो इसका अर्थ हुआ अब उसी एक इकाई को प्राप्त करने के लिए औसतन पूंजी की 20 इकाईया लगेगी। इस स्थिति को '**उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात**' कहते हैं।

- **अर्थशास्त्र:** उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसी प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन और विश्लेषण अर्थशास्त्र कहलाता है। यह विषय हमे बताता है कि प्रत्येक आर्थिक इकाई के पास उपलब्ध साधन सीमित होते हैं जबकि उसकी आवश्यकतायें असीमित होती है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता या उत्पादक अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर किस प्रकार करे कि अन्त मे वह अधिकतम सन्तुष्ट को प्राप्त कर सके।
- **अर्थव्यवस्था:** समस्त आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों को जहां सम्पन्न किया जाता है वह क्षेत्र या स्थान उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाता है। समान्यत: किसी देश की अर्थव्यवस्था मे तीन महत्वपूर्ण आर्थिक कियाएं सम्पादित की जाती है—1. कृषि, 2. उद्योग एवं 3 सेवा। जो अर्थव्यवस्था जिस आर्थिक क्रिया से सर्वाधिक आय और रोजगार का सृजन करती है वह अर्थव्यवस्था उस आर्थिक क्रिया पर आधरित अर्थव्यवस्था कहलाती है जैसे— भारत मे आय और रोजगार सृजन कृषि क्षेत्र से सर्वाधिक होता है इसलिये भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहलाती है।
- **विकसित अर्थव्यवस्था:** जिन अर्थव्यवस्थाओ मे निम्नलिखित विशेषतायें पायी जाती है, उन्हे विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है—
  - जीडीपी मे कृषि क्षेत्र की तुलना मे उद्योग और सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान।
  - सक्षम मानव पूंजी।
  - प्रति व्यक्ति आय अधिक
  - बचत दर, निवेश दर एवं पूंजी निर्माण दर अधिक
  - गरीबी और बेरोजगारी के प्रतिशत मे कमी।
  - साक्षरता दर अधिक।
  - जनसंख्या वृद्धि दर कम।
  - आधुनिक तकनीक का प्रयोग
  - आधारभूत संरचना विकसित

  उपरोक्त विशेषताओं वाली अर्थव्यवस्था को ही विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण-G-7 समूह है।

ध्यातव्य हो कि

G-7 समूह मे शामिल अर्थव्यवस्थाएं—1. अमेरिका 2. ब्रिटेन 3. फ्रांस 4. जर्मनी 5. इटली 6. कनाडा 7. जापान।

- **विकासशील अर्थव्यवस्था:** जिन अर्थव्यवस्थाओं मे निम्नलिखित विशेषतायें पायी जाती है, उन्हे विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है—
  - जीडीपी मे उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का सीमित योगदान और कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान।
  - जनाधिक्य की स्थिति परन्तु अकुशल मानव पूंजी।
  - प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम
  - बचत, निवेश एवं पूंजी निर्माण की धीमी दर।
  - गरीबी एवं बेरोजगारी का बढ़ता प्रतिशत।
  - आधारभूत संरचना की कमी।
  - पुरानी तकनीक का प्रयोग।

  उपरोक्त विशेषताओं वाली अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिक्स समूह है।

ध्यातव्य हो कि

ब्रिक्स समूह मे शामिल देश—1. ब्राजील 2. रूस 3. भारत 4. चीन 5. साऊथ अफ्रीका।

- **अल्प विकसित अर्थव्यवस्था:** अल्पविकसित अर्थव्यवस्थायें वे अर्थव्यवस्थायें है जहाँ विकास नाममात्र का हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी महामारी और कुपोषण चरम सीमा पर हो। इन अर्थव्यवस्थाओं की अन्य प्रमुख विशेषता यह होती है कि वे अपने विकास के लिये विकसित देशों या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (IMF, World Bank, Asian Development Bank) द्वारा दिये जाने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर रहते हैं। उनमे ऋण लेकर विकास करने की क्षमता नही होती क्योकि ऋण के बदले मे ब्याज भुगतान करने की स्थिति मे वे अर्थव्यवस्थायें नही होती। इन अर्थव्यवस्थाओं मे जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी अधिक होती है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानव विकास सूचकांक मे सबसे नीचा स्थान प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्थाये होती है। प्राय: अल्पविकसित अर्थव्यवस्था सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप से सम्बन्धित है।
- **आर्थिक नीति:** किसी भी सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित आर्थिक उद्देश्य या लक्ष्यों की पूर्ति हेतु घोषित रणनीतियाँ या नीतिगत उपाय आर्थिक नीति कहलाते है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेशी निवेश नीति, कृषि नीति, पर्यटन नीति, श्रम नीति तथा वितरण नीति आदि का समावेश होता है।
- **राष्ट्रीय आय:** राष्ट्रीय आय का आंकलन किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक नीति समयावधि (प्राय: एक वित्तीय वर्ष जैसे कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के भीतर अन्तिम रूप से उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग के रूप में

किया जाता है। इसके अन्तर्गत दोहरी गणना के दोषों से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता।

[Country + Financial + Final Goods & Services + Total Money Value = NI]

- **जीडीपी:** किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उसकी भौगोलिक सीमा (घरेलू सीमा) के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग ही 'जीडीपी' कहलाता है।

ध्यातव्य हो कि

जीडीपी में स्थान महत्वूपर्ण होता है न कि व्यक्ति ।
जीएनपी में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है न की स्थान।

[Country + Financial Year + Geographical Boundary + Final Goods & Services + Total Money Value = GDP]

- **एनडीपी:** जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटाने पर जो शेष बचता है, '**एनडीपी**' कहलाता है।

[GDP−Depreciation = NDP]

- **जीएनपी:** किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग ही 'जीएनपी' कहलाता है।

[Country +Financial Year + GDP + (X − M) + Financial Goods & Services + Total Money Value = GNP]

X = विदेशों में रहने वाले भारतीय (निर्यात)

M = भारत में रहने वाले विदेशी (आयात)

- **एनएनपी:** जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाने पर जो शेष बचता है '**एनएनपी**' कहलाता है।

[GNP − Deprecation = NNP]

- **प्रति व्यक्ति आय:** किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या को भाग देने पर जो औसत आय प्राप्त होती है, उसे 'पीसीआई' कहते हैं।

$$PCI = \frac{\text{National Income}}{\text{Total Population}}$$

ध्यातव्य हो कि

प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का सूचक है।

- **हिंदू वृद्धि दर:** जीडीपी वृद्धि दर (राष्ट्रीय आय) से संबंधित यह अवधारणा प्रो. कृष्ण राज द्वारा दी गयी थी।
- **हरित राष्ट्रीय आय:** हरित राष्ट्रीय आय की गणना में एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध उत्पादन के योग में से उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान देश के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को जो क्षति पहुंचती है उसके मौद्रिक मूल्य को घटा दिया जाता है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण:** आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को चित्रित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण, घरेलू अर्थव्यवस्था की अतीत (विगत वित्तीय वर्ष), मौजूदा वित्तीय वर्ष एवं भावी वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी तरह की सूचनाएं मुहैया कराता है। इसे केन्द्रीय बजट से पहले पेश किया जाता है, जो देश के आर्थिक प्रदर्शन के साथ बजट की व्यापक दिशा की रूपरेखा पेश करता है।
- **मुद्रास्फीति का अर्थ:** जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पूर्ति के सापेक्ष मांग तीव्र गति से बड़े, परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में सतत वृद्धि बनी रहे, जिससे मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ जाती है। यह स्थिति 'मुद्रास्फीति' कहलाती है। आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति 'महंगाई' है।

[Demand $\uparrow$ Supply $\downarrow$ $\rightarrow$ Sustained Increase in price level $\rightarrow$ Purchasing power of money $\downarrow$ = Inflation]

- **मुद्रास्फीति के कारण:** मुद्रास्फीति के दो प्रमुख कारण हैं–
  - (i) **मांग जनित मुद्रास्फीति:** उत्पादों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन आने से ऐसी मुद्रास्पफीति होती है।
  - (ii) **लागत जनित मुद्रास्फीति:** उत्पादों की उत्पादन लागत बढ़ने से ऐसी मुद्रास्फीति होती है।
- **मुद्रास्फीति के प्रकार:** मुद्रास्फीति की स्थिति को कई श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है जैस—दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, गतिहीन मुद्रास्फीति।

(i) दौड़ती मुद्रास्फीति: जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति इतनी तीव्र गति से बढ़े कि जनता का प्रचलित मुद्रा से विश्वास उठ जाये और सर्वत्र अशांति एवं असंतोष की स्थिति निर्मित हो जाये तो यह स्थिति हाईपर इन्फ्लेशन कहलाती है।

ध्यातव्य हो कि

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में यह स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। वर्तमान में यह स्थिति अफ्रीकी देश जिम्बावे में देखने को मिलती है।

(ii) मंद मुद्रास्फीति: जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर बहुत मंद गति से बढ़े अर्थात् मूल्यों में वृद्धि बहुत धीमी गति से हो और लोगों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव नाममात्र का पड़े, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है।

ध्यातव्य हो कि

विकसित देशों में मांग एवं आपूर्ति में संतुलन बने रहने के कारण मूल्यों में वृद्धि बहुत धीमी होती है।

(iii) **चलती मुद्रास्फीतिः** दौड़ती मुद्रास्फीति एवं मंद मुद्रास्फीति के बीच की स्थिति गालोपिंग इन्फ्लेशन कहलाती है।

(iv) **गतिहीन मुद्रास्फीतिः** जब तेजी के साथ-साथ मंदी की स्थिति भी हो, अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ-साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही हो तो उसे स्टेगफ्लेशन कहते हैं। अर्थात गतिहीनता के साथ-साथ मुद्रास्फीति। सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति के दौरान बेरोजगारी का स्तर घटता है परंतु कभी-कभी कीमतें बढ़ने पर भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती और बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जाता है।

- **मौद्रिक नीतिः** यह नीति बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के साथ ही यह तय करती है कि आरबीआई किस दर पर बैंकों को कर्ज देगा या फिर किस दर पर उन बैंकों से पैसा वापस लेगा। मौद्रिक नीति को आरबीआई अपने केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर तय करता है। आरबीआई समय-समय पर भारत सरकार के 'आर्थिक विभागों' से सलाह-मशविरा करता है, परंतु मौद्रिक नीति की प्रमुख दरें क्या होगी, अंतिम निर्णय आरबीआई द्वारा लिया जाता है।

ध्यातव्य हो कि

- 1990 के दशक के मध्य तक आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा वर्ष में केवल दो बार करता था।
- वर्ष 1997 में गवर्नर बने बिमल जॉलान ने तिमाही मौद्रिक नीति (90 दिन) समीक्षा की परंपरा शुरू की।
- वर्ष 2003 में गवर्नर बने वाई. वी. रेड्डी ने मध्य तिमाही समीक्षा (45 दिन) की परंपरा शुरू की।
- वर्ष 2013 में गवर्नर बने रघुराम राजन ने, डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की सिफारिश पर, 1 अप्रैल 2014 को पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति (60 दिन) की परंपरा शुरू की।

- **तरलता समायोजनः** यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी गई एक सुविधा है। यह मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में प्रयुक्त किया जाने वाला एक प्रमुख टूल है। इसके अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो आते हैं जिनकी दरों पर नियंत्रण करके भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में उपलब्ध मुद्रा को नियंत्रित करता है। वर्ष 2000 से LAF को पूर्णता अपनाया गया।
- **सीमान्त स्थायी सुविधाः** यह 9 मई 2011 से प्रारम्भ भारतीय रिजर्व बैंक की ऐसी सुविधा है जिसके तहत बैंक अपने शुद्ध मांग और सावधी उत्तरदायित्व (Net Demand and Time Liabilities - NDTL) का 2% तक अति अल्प अवधी के लिए ऋण ले सकते हैं। इसकी दरें रेपो रेटे से सदैव एक प्रतिशत अधिक होती है। MSF, LAF से इस रूप में भिन्न है कि वाणिज्यिक बैंक SLR के तहत रखी प्रतिभूतियों के बदले भी उधार ले सकते हैं।
- **सस्ती मुद्रा नीतिः** सस्ती मुद्रा नीति से अभिप्राय ऐसी मौद्रिक नीति से है जिसके अंतर्गत उद्योगों, व्यवसायों व उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर व आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होता है अर्थात् उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु जिस नीति का अनुसरण RBI करती है 'सस्ती मुद्रा नीति' कहलाती है।
- **महंगी मुद्रा नीतिः** RBI द्वारा मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाती है ताकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता न पहुंच सके, 'महंगी मुद्रा नीति' कहलाती है।
- **खुला बाजार प्राचलनः** RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का 'क्रय-विक्रय' खुला बाजार प्राचलन कहलाता है।
- **राजकोषीय नीतिः** सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण सम्बन्धी क्रियाओं तथा हिनार्थ प्रबन्ध से सम्बन्धित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। इस नीति में मुख्य रूप से तीन मुद्दे शामिल होते हैं-(i) करारोपण, (ii) सार्वजनिक ऋण, (iii) सार्वजनिक व्यय।
- **हीनार्थ प्रबन्धनः** जब सरकार RBI से नये नोट निर्गमित करवाती है तो यह प्रक्रिया हिनार्थ प्रबन्धन कहलाती है। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता की अधिकता हो जाती है जो मुद्रास्फीति की दरों में वृद्धि में सहायक है।
- **भूधारण प्रणालियांः** आजादी से पहले भारत में तीन प्रकार की भूधारण प्रणालियां प्रचलित थीं-(i) जमींदारी प्रणाली (ii)महालवाड़ी प्रणाली (iii) रैयतवाड़ी प्रणाली

  (i) जमींदारी प्रणालीः इस प्रणाली को जागीरदारी, मालगुजारी व वीसवेदारी नाम से भी जाना जाता था। 1793 में **लार्ड कार्नवालिस** ने इस प्रणाली को बंगाल में प्रारंभ किया। इस भू-धारण प्रणाली में भूमि पर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व होता था जो सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी होता था। लगान की दर बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास नहीं था, परंतु जमींदार इसमें वृद्धि कर सकता था। जमींदार इस भूमि को बेच सकता था और रेहन व दान में दे सकता था। जमींदारी प्रणाली से एक महत्वपूर्ण बुराई **'अनुपस्थित भूस्वामित्व'** का जन्म हुआ, जिसमें जमींदार अपने लगान एकत्रीकरण के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकते थे और बदले में लगान का एक हिस्सा ले लेते थे। यह उप जमींदार भी अपने लगान वसूली अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकते थे। इस प्रकार सरकार एवं वास्तविक किसानों के बीच बिचौलियों का एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया जो सिर्फ अधिक-से-अधिक लगान वसूल कर मुनाफा कमाने में लगा रहता था। इस प्रकार यह प्रणाली किसानों के लिए दमन और शोषण का प्रतीक बन गयी, जिससे कृषि के विकास में बाधा पहुंची।

(ii) महालवाड़ी प्रणाली: इस प्रणाली में भूमि का स्वामित्व सामूहिक रूप से ग्राम समुदाय का होता था तथा ग्राम समुदाय सामूहिक रूप से लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। सरकारी लगान को एकत्र करने के लिए पूरा महाल या क्षेत्र सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था। महाल के अंतर्गत छोटे या बड़े स्तर के सभी जमींदार आते थे।

(iii) रैयतवाड़ी प्रणाली: इस प्रणाली में भूमि पर अलग-अलग व्यक्तियों का स्वामित्व होता था तथा भू-राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी भू धरियों पर सीधे और व्यक्ति क रूप से होती थी। इस व्यवस्था में किसान एवं सरकार के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता था। रैयत को अपनी भूमि बेचने, किराये पर उठाने, हस्तांतरित करने, गिरवी रखने या किसी अन्य तरीके से दूसरे को प्रदान करने का अधिकार होता था। रैयतवाड़ी प्रणाली में बंदोबस्त स्थायी नहीं होता था और जब तक किसान लगान अदा करता रहता था, तब तक उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था किंतु लगान अदा न करने पर उसे भूमि से बेदखल किया जा सकता था।

- **भूमि सुधार:** भूमि सुधार का आशय कृषि के संस्थागत तत्वों एवं तकनीकी पहलू में ऐसा बदलाव करना, जिससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। ब्रिटिश शासन काल में शोषणपूर्ण भू-धारण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमे स्वतंत्रता के बाद सुधार लाने के लिए प्रयास किया गया। इस प्रयास के अंतर्गत निम्नलिखित उपायों को शामिल गया;
  1. मध्यस्थों का उन्मूलन या जमींदारी उन्मूलन।
  2. काश्तकारी सुधार, जिसमें लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा तथा काश्तकारों की भूमि स्वामित्व शामिल हैं।
  3. कृषि का पुनर्गठन, जिसमें जोतों की सीमाबंदी, जोतों की चकबंदी तथा सहकारी कृषि शामिल है।
- **चकबन्दी:** चकबन्दी के अन्तर्गत विभिन्न किसानों को एक ही स्थान पर उसके बिखरे हुए टुकड़ों के मूल्य के बराबर की इकट्ठी भूमि दी जाती है अर्थात इसके अन्तर्गत किसान की बिखरी हुई जोतों के एक स्थान में बांधने का प्रबन्ध किया गया।
- **जोतों की सीमाबन्दी:** इसका आशय किसी किसान परिवार द्वारा अपने कब्जे में रखी जाने वाली भूमि की अधिकतम मात्रा निर्धारित करना है। उस सीमा से अधिक भूमि को सरकार अधिग्रहण कर लेती है तथा इस भूमि को भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाता है।
- **सहकारी खेती:** छोटे-छोटे जोतों को जोड़कर एक बड़ा जोत तैयार करके उस पर संयुक्त रूप से कृषि करने की प्रणाली को सहकारी खेती कहते हैं। सहकारी खेती में समस्त उपलब्ध भूमि को एक इकाई में जोड़ दिया जाता है। जिन लोगों की भूमि को इस इकाई में मिलाया जाता है, उनका अपने-अपने हिस्से की भूमि पर भू-स्वामित्व बना रहता है। भूमि तथा कृषि का प्रबंधन सहकारी कृषि के सदस्यों द्वारा लोकतंत्रात्मक आधार पर किया जाता है। सदस्यों को उनके कार्यों के बदले मजदूरी या वेतन तथा भूमि के बदले लाभांश दिया जाता है। भारत में भूमि सुधरों का अंतिम लक्ष्य सहकारी फर्मों की स्थापना करना तथा सहकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रचना करना है।
- **मूल्य स्थिरीकरण कोष:** आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने चाय, कॉफी, रबर व तम्बाकू के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन 20 फरवरी, 2003 को प्रदान कर दिया था। चार हेक्टेयर तक की जोतों के धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मूल्य स्थिरीकरण की इस अनूठी योजना के तहत कोष में सरकार द्वारा 300 करोड़ का योगदान (150-150 करोड़ की दो किश्तों में क्रमशः 2002-03 व 2003-04 के दौरान) किया गया। मूल्य स्थिरीकरण के लिए बैंचमार्क मूल्य का निर्धारण विगत सात वर्षों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के चल माध्य (Seven Yearly Moving Average of International Price) के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बाजार मूल्य के इससे 20 प्रतिशत तक अधिक या कम होने पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, किन्तु मूल्य में 20 प्रतिशत से भी अधिक कमी आने की स्थिति में उत्पादकों को राहत, इस कोष से प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार बाजार मूल्य के बैंचमार्क मूल्य के 20 प्रतिशत से भी अधिक होने पर उत्पादकों को अतिरिक्त राशि कोष में जमा करनी होगी।
- **कृषि लागत एवं मूल्य आयोग:** 1965 में भारत सरकार ने कृषि आयोग (APC) की स्थापना की। यह आयोग विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए उनकी बोआई के समय न्यूनतम समर्थन कीमत, वसूली कीमत, और जारी कीमतों की घोषणा करता है। मार्च 1985 में कृषि कीमत आयोग का पुनर्गठन करके इसका नामकरण 'कृषि लागत एवं कीमत आयोग' कर दिया गया। यह आयोग कृषि आयातों की लागतों एवं किसानों की उचित प्रतिफल पर विचार करने के बाद 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' की संस्तुति सरकार को करता है।
- **ग्रामीण ज्ञान केन्द्र:** नाबार्ड की मदद से भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'रूरल नॉलेज सेंटर' की स्थापना की है। इन केन्द्रों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार तकनीक का उपयोग किसानों को वांछित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश पर एक-एक लाख रूपए की लागत से कुल एक हजार नॉलेज सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं। इस पर आने वाली लागत का 'ग्रामीण आधारिक सरंचना विकास कोष' से धनराशि सरकार द्वारा दी जा रही है। प्रारंभ में यह सेंटर राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश व प. बंगाल में स्थापित किए जा रहे हैं।
- **भारतीय खाद्य निगम:** इसकी स्थापना 1965 में की गई, जो खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी, भण्डारण व संग्रहण, वितरण एवं बिक्री की व्यवस्था करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्यों को स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम बफर भंडार का निर्माण करता है ताकि खराब मौसम के दौरान

उससे खाद्य पदार्थ निकालकर उपभोक्ताओं के बीच वितरित कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था के फलस्वरूप साहूकारों व व्यापारियों में जमाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है।

- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद:** भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के 'कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा' के अंतर्गत गठित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संस्था है। यह परिषद भारत में बागवानी, मत्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में हरित क्रांति लाने और उसके बाद कृषि में निरंतर विकास में अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। परिषद के अंतर्गत देश भर में 97 भारतीय कृषि अनुसंधान एवं 53 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।
- **नाबार्ड:** 1963 में स्थापित 'कृषि पुनर्वित निगम' (जिसका परिवर्तित नाम कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम) को पुनर्गठन करने के बाद 1982 में ग्रामीण ऋण की सर्वोच्च संस्था 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक' की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों, दस्तकारियों और अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है जिससे कि ग्रामीण विकास को समेकित रूप देकर गांवों को खुशहाल किया जा सके।

ध्यातव्य हो कि

बी. शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर नेश्नल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूलर डेवेलपमेंट का गठन हुआ है।

- **भारतीय कृषि की विशेषतायें:** भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:-
    - मानसून पर निर्भरता।
    - बहुप्रकारीय खेती की प्रधानता।
    - खाद्यान्न फसलों पर निर्भरता।
    - उत्पादन की रूढ़िवादी तकनीक।
    - अधिकांश जनता की निर्भरता।
    - कृषि में बेरोजगारी (मौसमी तथा छिपी) का अधिक्य।
    - कृषि जोतो का छोटा आकार।
    - किसानों की ऋणग्रस्ता।
    - न्यून कृषि उत्पादकता।
    - उद्योग क्षेत्र के लिए कच्चे माल की उपलब्ध्ता।
- **फसलों का विशेष वर्गीकरण:**

  (a) सुरक्षा फसलें: ऐसी फसले भूमि को ढंककर रखती है तथा भूमि को क्षरण से बचाती है। ऐसी फसलों की वनस्पति वृद्धि तेजी से होती है और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनाती है। इसकी जड़े मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती है जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है। जैसे-उरद, मूंगफली, शकरकन्द, लोबिया।

  (b) सीमा फसलें: कुछ फसले खेत के बार्डर के रूप में या जन्तुओं से सुरक्षा हेतु मुख्य फसल के चारों ओर बार्डर के रूप में उगायी जाती है। ये फसलें हवा की गति को भी कम करती है। ऐसी फसले प्राय: कांटेदार होती है। जैसे-चने के खेत के चारों ओर कुसम (बर्रे) इसी उद्देश्य से लगाया जाता है।

  (c) आपातकालीन फसलें: जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसले आगामी ऋतु को पकड़ने के लिये उगायी जाती है। ऐसी फसले प्राय: अल्प अवधि, एवं तेजी से वृद्धि करने वाली होती है, जिसे आसानी से काटकर किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे- मूंग, उर्द, प्याज, मूली आदि।
- **उद्यान विज्ञान:** उद्यान विज्ञान का अर्थ है उद्यान में फसलों व पौधों को लगाना। अर्थात् घर के समीप किसी निश्चित क्षेत्र में फल, साग-सब्जियाँ तथा अलंकृत पौधों को उगाने से है। उद्यान विज्ञान को सुविधानुसार निम्न भागों में बाँटा जा सकता है:-

  (i) फलोत्पादन (ii) शाकोत्पादन
  (iii) पुष्पोत्पादन (iv) सब्जी एवं फल संरक्षण
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य:** MSP कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। इसके द्वारा सरकार उत्पादक कृषकों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमतें नियत कीमत से नीचे नहीं गिरने दी जायेगी। यदि कीमतें MSP से नीचे गिरती है तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थित कीमतों पर खाद्यान्नों को क्रय कर लेगी।

ध्यातव्य हो कि

कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस वर्ष में दो बार (रबी और खरीब) फसल बोने से पहले 25 फसलों के लिए MSP की सफिारिश करती है, जिस पर अंतिम निर्णय CCEA-Cabinate Committee on Economic Affair द्वारा लिया जाता है।

- **वसूली/खरीद मूल्य:** वसूली कीमत से आशय उस कीमत से है, जिस कीमत पर सरकार मण्डी में कृषकों तथा व्यापारियों से उनकी उपज खरीदती है। इस अनाज का क्रय कर सरकार उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से कमजोर वर्गों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा न्यूनतम आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।

ध्यातव्य हो कि

यह मूल्य फसल कटने के बाद निर्धारित किया जाता है और यह कीमत MSP के बराबर या उससे अधिक होती है, कम कभी नहीं होती है।

- **निर्गम आवंटन मूल्य:** जिस कीमत पर सरकार खाद्यान्न आदि वस्तुए उपभोक्ताओं को उचित कीमत की दुकानों से उपलब्ध कराते हैं वह निगमन आवंटन मूल्य कहलाता है।

ध्यातव्य हो कि

निगमन आवंटन मूल्य, वसूली मूल्य से कम होता है और दोनों कीमतों के मध्य अन्तर को सरकार खाद्यान्न सब्सिडी देकर पूरा करती है।

- **सूक्ष्म उद्योग:** ऐसे उद्योगों को सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है जो निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में 25 लाख से अधिक का निवेश नहीं करते हैं और सेवा उद्योग में उपकरणों पर निवेश 10 लाख से अधिक नहीं करते।
- **लघु उद्योग:** ऐसे उद्योगों को लघु उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है जो निर्माण उद्योग मे प्लांट एवं मशीनरी पर 25 लाख से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम रूपये का निवेश करते हैं और सेवा उद्योग में उपकरणों पर निवेश 10 लाख से अधिक लेकिन 2 करोड़ से अधिक नहीं करते। वर्तमान में केवल 20 उद्योग ऐसे हैं जिन्हें लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया है। वे 20 क्षेत्र निम्नवत हैं:-1. अचार व चटनी, 2. सरसों का तेल, 3. लकड़ी के फर्नीचर, 4. मोमबत्ती, 5. माचिस, 6. अगरबत्ती, 7. स्टील की अलमारी, 8. सभी तरह के स्टील, 9. स्टील फर्नीचर, 10. स्टील के बर्तन, 11. ब्रेड, 12. मूंगफली का तेल, 13. कॉपियां व रजिस्टर, 14. कपड़े धेने का साबुन, 15. पटाखे. 16. कांच की चूड़ियां, 17. रोलिंग शटर, 18. सभी तरह की स्टील की मेंजे, 19. ताले, 20. एल्युमीनियम के घरेलू बर्तन।

  लघु उद्योगों की अन्य विशेषताएँ:
  - लघु उद्योगों में आधुनिक ढंग से उत्पादन कार्य होता है।
  - सवेतन श्रमिकों की प्रधानता रहती है और पूंजी निवेश पर्याप्त मात्रा में होता है।
- **मध्यम उद्योग:** ऐसे उद्योग जो निर्माण उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी पर 5 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम का निवेश करते है और सेवा उद्योगों में उपकरणों पर 2 करोड़ से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम का निवेश करते है मध्यम उद्योग कहलाते हैं।
- **कुटीर उद्योग:** उन उद्योग को कुटीर उद्योग कहा जाता है जिसे किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशकालिक तौर पर चलाया जाता है। इसमे पूंजी निवेश नाममात्र का होता है। उत्पादन भी प्राय: हाथ द्वारा परम्परागत तरीके से किया जाता है इन उद्योगों में वेतनभोगी श्रमिक नहीं होते।
- **ग्रामोद्योग:** 10 हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित तथा भूमि, भवन, मशीनरी आदि में प्रति कारीगर 15 हजार से कम स्थिर पूंजी निवेश वाले उद्योग ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आते है। राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग इन इकाइयों की स्थापना, संचालन आदि मे आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते है।
- **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:** एकाधिकारी शक्तियों पर अंकुश लगाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा कम्पनियों के विलयों व अधिग्रहणों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया।

ध्यातव्य हो कि

यह आयोग MRTPC [Monopolistic & Restrictive Trades Practices Commission] के स्थान पर लाया गया है।

- **MRTPC:** बहुत से औद्योगिक घरानों का निश्चित गतिविधियों पर एकाधिकार था तथा वे प्रतिस्पर्धा रोकन का प्रयास कर रहे थे। इसके नियंत्रण हेतु MRTP Act, 1969 लागू किया गया। साथ ही ऐसे कार्यों को रोकने हेतु इससे सम्बन्धित आयोग (MRTPC) की भी स्थापना की गयी।
- **औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड:** इसकी स्थापना 1987 में की गयी। यह 1992 तक निजी कंपनियों की सुगमता के लिये कार्य करता था परन्तु 1992 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की रूगण इकाइयों के वित्तीय पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गयी।
- **राष्ट्रीय निवेश कोष :** सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि को इस कोष में रखा जाता है। यह राशि भारत के संचित कोष से अलग रखी जाती है। इस कोष में रखी गयी राशि का 75% शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र के विकास में व्यय किया जाता है। शेष 25 प्रतिशत राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में निवेश के लिए किया जायेगा। इस कोष का गठन केन्द्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी पर वर्ष 2005 में कर दिया गया था परन्तु इसकी औपचारिक शुरूआत 6 अक्टूबर, 2007 मे हुई। इस कोष की राशि का प्रबन्धन तीन एसेट मैनेजमेंट कम्पनियों-1. UTI Assets Management Co. Pvt. Ltd. 2. SBI Funds Management Pvt. Ltd. 3. LIC Mutual Fund Asset Management Co. Pvt. Ltd. द्वारा किया जाता है।

ध्यातव्य हो कि

विनिवेश से प्राप्त राशि संचित कोष में ही रखी जाती है।

- **सन्तुलन स्थिर बिन्दु:** जिस बिन्दु पर फर्म को न लाभ होता है और न हानि अर्थात् शून्य लाभ (सामान्य लाभ) होता है, उस बिन्दु को ब्रेक इवन पाइंट कहते हैं। कोई भी व्यवसायी तब तक अपने व्यवसाय मे बने रहता है जब तक उसे शून्य लाभ प्राप्त होता है।
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक:** भारतीय अर्थव्यवस्था के खनन, विद्युत तथा विनिर्माण क्षेत्रक में वृद्धि दर को संसूचित करने वाले सूचकांक को 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' कहा जाता है। यह सूचकांक विभिन्न

संकेतकों के आधार पर लघु अवधि के परिवर्तनों को चिन्हित करता है। इसका संग्रहण तथा प्रकाशन 'केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन' द्वारा किया जाता है। इसका प्रकाशन मासिक आधार पर किया जाता है।

- **जोखिम पूंजी:** नए एवं छोटे उपक्रमों में, जहाँ जोखिम अधिक होता है के लिए वित्तीय संस्थाएं पूँजी निवेश को तैयार होती है 'जोखिम पूंजी' कहलाती है।
- **रजिस्ट्री:** बीमा गतिविधियों के तहत कवर किये जाने वाले जोखिमों का निर्धारण तथा इनके लिए बीमा प्रीमियम का आकलन एक्चुरीज़ द्वारा किया जाता है।
- **वित्तीय समावेशन:** देश के सभी भागों जहाँ बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बैकिंग सुविधा पहुंचाना ताकि, सरल प्रक्रिया से ऋण उपलब्ध कराया जा सके जिससे ग्रामीण लोग साहूकारों के चुंगल से बच सके साथ ही लोगों को बैकिंग सुविधाओं के संबंध में शिक्षित करना एवं परिवारों को खाता खोलने के लिए प्रेरित करना वित्तीय समावेशन कहलाता है।
- **ऋण न चुकाने वाला:** ऐसी कम्पनियां जो बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के भुगतान की क्षमता होने के बावजूद भी बैंकों को यदि जानबूझकर भुगतान नहीं करती तो बैंक ऐसी कम्पनियों को विलफुल डिफाल्टर घोषित कर देती है। ऐसी स्थिति में कम्पनी को डिफाल्टर घोषित करने वाले बैंक से भविष्य में कभी भी ऋण प्राप्त नहीं हो पाता।
- **पी-नोट्स:** पी-नोट्स समुद्रपारीय डेरिवेटिव्स 'इन्स्ट्रूमेंट्स' है जिसके जरिये समुद्रपारीय उच्च संपदा वाले व्यक्ति, हेज फंड या अन्य संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं। दरअसल, भारतीय शेयर बाजार में निवेश के इच्छुक FIIs को सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पर जो विदेशी निवेशक अपनी पहचान छुपाने के लिए सेबी के यहां रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता, पर भारतीय शेयर बाजार में निवेश के इच्छुक हैं, तो ऐसे निवेशकों के लिए पंजीकृत FIIs सब-एकाउंट बनाकर पी-नोट्स जारी करती है। ये सब-एकाउंट सेबी के पास पंजीकृत तो होते हैं पर सेबी को इन निवेशकों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है।
- **आरक्षित जमा अनुपात:** लोग अपने बैंक खातों में जो करेंसी जमा करते हैं, उसका एक हिस्सा आरक्षित मुद्रा के रूप में रखकर शेष राशि को बैंक विविध निवेश परियोजनाओं को कर्ज के रूप में देती है। आरक्षित मुद्रा में दो चीजें होती हैं, बैंकों में नकदी और व्यावसायिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी जमा। व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमा का जो अनुपात आरक्षित निधियों के रूप में रखते हैं, उसे आरक्षित निधि जमा अनुपात कहा जाता है।
- **प्राथमिकता क्षेत्र उधार:** प्राथमिकता क्षेत्र के उधार अर्थात् प्राथमिक क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन पर यदि विशेष ध्यान नहीं दिया जाये तो उन्हें समय पर पर्याप्त ऋण नहीं उपलब्ध हो पाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है—

  1. कृषि 2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम 3. शिक्षा 4. आवास
  5. निर्यात साख 6. अन्य

  उपर्युक्त क्षेत्रों को पर्याप्त सांस्थानिक ऋण आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि बैंक अपने अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उधार दें।
- **स्थानीय क्षेत्र बैंक:** एरिया बैंक स्कीम की शुरूआत अगस्त 1996 में हुयी थी। इस स्कीम की शुरूआत के पीछे मुख्य उद्देश्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण बचतों का लामबंदीकरण एवं उनका उपयोग स्थानीय क्षेत्र में निवेश करना था।
- **लीड बैंक योजना:** गाडगिल स्टडी ग्रुप और नरीमन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1969 के अंत में लीड बैंक योजना की शुरूआत की। स्कीम के तहत देश के सभी जिलों (बंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता तथा केंद्र शासित प्रदेशो को छोड़कर) के किसी एक बैंक को (जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कुछ बैंक भी शामिल थे) लीड बैंक का दर्जा प्रदान किया गया। लीड बैंक स्कीम का उद्देश्य बैंक शाखा सुविधाओं के विस्तार व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक जिला में साख सुविधा संस्थानों के मध्य समन्वयन के लिए एक बैंक को नामांकित करना था। वर्ष 1979 में एक लीड बैंक मैनेजर की नियुक्ति का भी प्रावधन किया गया।
- **गिल्ट फंड्स:** गिल्ट फंड्स ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं जो मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। इन सरकारी प्रतिभूतियों में डेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिभूतियां, राज्य सरकार प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं। गिल्ट फंडस में निवेश किए जाने के बाद निवेशकों को किसी तरह का साख का जोखिम नहीं होता है कारण, इन प्रतिभूतियों को गारंटी केंद्र सरकार देती है।
- **न्यूनतम उधार दर:** यह वह ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय (विश्वसनीय) ग्राहक को ऋण देता है। (विश्वसनीयता से तात्पर्य है जिसमे जोखिम शून्य हो) PLR एक प्रकार से आधार ब्याज दर की भूमिका अदा करता है।
- **बेस रेट:** बैंकों द्वारा दी जाने वाली उधारियों पर ब्याज दरों के मामले मे आर्थिक पारदर्शिता लाने के लिए RBI ने PLR के स्थान पर बेस रेट को अपनाने के निर्देश दिये हैं। सभी बैंकों को 30 जून, 2011 तक बेस रेट सिस्टम अपनाना होगा। बेस रेट, बैंक द्वारा घोषित वह दर होगी जिससे कम दर पर कोई भी ऋण बैंक द्वारा नहीं दिया जायेगा।
- **गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियां:** बैंकों एवं वित्तीय संसाधनों द्वारा वितरित वे ऋण जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नहीं हो पाती या बिल्कुल नहीं हो पाती।
- **मर्चेन्ट बैंकिंग:** वाणिज्यिक बैंकिंग के अंतर्गत औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थानों को विशिष्ट प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है जैसे—
  - परियोजना संबंधी परामर्श
  - व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना

- प्रस्तावों पर सरकार की सहमति प्राप्त करना
- नये निर्गमों के प्रबन्धक के रूप में कार्य करना
- कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करना

- **भुगतान संतुलनः** एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ सामान्यतया एक वर्ष के दौरान, जो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन-देन होते है, उनकी प्रविष्टि जिस विवरण या खाते में करते है उसे '**भुगतान सन्तुलन विवरण**' कहते हैं। यह विवरण एक वर्ष से सम्बन्धित है। अन्य शब्दों में—'भुगतान संतुलन एक ऐसा लेखा होता है जिसमें एक देश का शेष विश्व के देशों के साथ होने वाले सभी आर्थिक लेन-देन का उल्लेख होता है।' भुगतान संतुलन में दो प्रकार के खातों को शामिल किया जाता है:—

(a) चालू खाता, (b) पूंजीगत खाता

(a) **चालू खाताः** एक वित्तीय वर्ष में दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात का योग ही 'चालू खाता' कहलाता है।

(i) **चालू खाता घाटाः** यदि एक वित्तीय वर्ष में दृश्य व अदृश्य मदों का आयात अधिक और निर्यात कम होता है तो वह स्थिति 'चालू खाता घाटा' कहलाता है।

सूत्रः Import of visible & invisible Items ↑ – Export of visible & Invisible Items ↓ = Current Account Deficit.

ध्यातव्य हो कि

- दृश्य खाता/पण्य खाता/व्यापार खाता तीनों एक ही है जिसके अन्तर्गत केवल वस्तुओं के आयात (पेट्रोलियम, पूंजीगत वस्तुएं) और निर्यात (जेम्स, ज्वेलरी, चाय, काफी, मसाला) को प्रदर्शित किया जाता है।
- अदृश्य मदों से आशय ऐसी मदों से है जिनकी प्राप्तियाँ तथा भुगतान वस्तुओं के आयात-निर्यात की तरह बन्दरगाह पर रिकार्ड नहीं किये जाते है जैसे—यात्रा, यातायात, वित्तीय, साफ्टवेयर, बैंक, बीमा, पर्यटन, शिक्षा, ब्याज, लाभांश।
- दृश्य तथा अदृश्य मदों को एक साथ मिला लिया जाये तो वहीं चालू खाता कहलाता है।
- चालू खाते के घाटे का मौद्रिक मूल्य, उस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है तथा इस खाते का प्रबंधन RBI द्वारा किया जाता है।

(b) पूंजी खाताः किसी देश के सभी विदेशी लेन-देन जो पूंजीगत किस्म के होते हैं, का विवरण पूंजीगत खाते में किया जाता है। इस खाते में शामिल हैं—विदेशी ऋणों की प्राप्ति तथा आवंटन, निजी प्रेषण का आना तथा जाना, विदेशी बाँड की खरीद से बाहर जाने वाला धन तथा विदेशों में भारतीय बाँडों की बिक्री से प्राप्त धन एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का अंतर्प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह को शामिल किया जाता है।

ध्यातव्य हो कि

इस खाते में कोई घाटा या अतिरेक नहीं होता। चालू खाते के घाटे को इस खाते से पूरा किया जाता है और इस खाते का प्रबन्धन भी RBI द्वारा किया जाता है।

किन मदों की प्रविष्टि किस खाते चालू खाता (दृश्य या अदृश्य खाता) या पूंजी खाते में होगी इसकी जटिलता को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है:—

उदाहरणः एक जापानी प्रोफेसर, भारत व्याख्यान देने के लिए आता है और 10 दिन भारत में रहता है। इन 10 दिनों में वह 4 लाख रूपये होटल पर व्यय करता है, 2 लाख रूपये के खिलौने अपने बच्चों के लिए (जापान ले जाने के लिए) खरीदता है, भारत आते समय वह जापान एयरलाइन्स से 1 लाख रूपये का टिकट खरीद के आया था और जाते समय 1.50 लाख रूपये का टिकट इण्डियन एयरलाइन्स से खरीदता है। उसने 1 एक करोड़ की भारत में परिसम्पत्ति भी खरीदी। चालू खाते की अदृश्य मदों की प्रविष्टि

- इन्डियन एयर लाइन्स के 1.50 लाख रूपये के टिकट पर व्यय, भारतीय सेवाओं का क्रय है इसलिये अदृश्य खाते में जायेगा।
- होटल में सेवाओं का उपभोग व्यय सेवाओं के निर्यात मद अर्थात् अदृश्य खाते में जायेगा।
- 2 लाख रूपये के खिलौनों पर व्यय भी अदृश्य खाते में जायेगी क्योंकि इसको पोर्ट पर रिकार्ड नहीं किया गया है।
- 1 करोड रूपये की परिसम्पत्ति पर किया व्यय भी अदृश्य खाते में जायेगा क्योंकि इसका भी पोर्ट पर कोई रिकार्ड नहीं है।

ध्यातव्य हो कि

- उस जापानी प्रोफेसर ने जो जापान एयर लाइन्स से 1 लाख रूपये का टिकट खरीदा था उसका भारतीय BOP से कोई लेना देना नहीं।
- एक महत्वपूर्ण बात और NRI द्वारा भारत में अपने सगे सम्बन्धियों को प्रेषण (भेजना) चालू खाते की अदृश्य मद का एक तरफा हस्तान्तरण के रूप में प्रदर्शित होगा जबकि उसके द्वारा भारत में किया गया जमा (NRI Deposits) पूंजी खाते में जायेगी। और उसके जमा खाते से उसके किसी रिश्तेदार ने पैसे की निकासी की तो वह चालू खाते के अदृश्य खाते मे जायेगी।

- **व्यापार का संतुलन:** किसी निर्धारित समय (सामान्यत: एक वर्ष) में केवल आयातित एवं निर्यातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का अंतर उस देश का 'व्यापार शेष' कहलाता है। इसमें केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है अर्थात् सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। किसी देश का व्यापार शेष दो स्थिति में हो सकता है। (i) प्रतिकूल व्यापार शेष (Import ↑ Export ↓) (ii) अनुकूल व्यापार शेष (Import ↓ Export ↑)

ध्यातव्य हो कि

व्यापार शेष, भुगतान संतुलन का एक अंश मात्र है।

- **मुद्रा की परिवर्तनीयता:** ऐसी व्यवस्था जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएँ मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती है।

  भारत के सन्दर्भ में रूपये की परिवर्तनीयता:

  - 20 अगस्त, 1994 में भारतीय रूपये को 'भुगतान संतुलन' के चालू खाते के लेन-देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया।
  - भारतीय संदर्भ में रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का तात्पर्य यह नहीं कि भारतीय बाजार में खुले रूप से जितने डालर खरीदना चाहे खरीद सकते हैं बल्कि यहां 'बाजार' का तात्पर्य Commerical Banks, EXIM Bank और RBI से है। यदि आयातक डालर की मांग करते हैं तो व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक से एक निश्चित मूल्य सीमा के भीतर विनिमय दर के आधार पर पूर्ति करता है और भारतीय निर्यातकों को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक एक निश्चित विनिमय दर पर खरीद लेता है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय दोनों मूल्य केन्द्रिय बैंक निश्चित करता है।

- **अवमूल्यन:** जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के सापेक्ष 'मूल्य ह्रास' आधिकारिक तौर पर (जानबूझकर, उस देश की सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से) कर दिया जाए तो यह हस्तांतरण कहलाता है। परन्तु यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति के असंतुलन के कारण किसी मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है तो वह प्रतिवाद कहलाता है।
- **अधिमूल्यन:** जब किसी एक मुद्रा के मूल्य में किसी दूसरी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य वृद्धि आधिकारिक रूप से की जाए तो यह स्थिति पुनर्मूल्यांकन कहलाती है। परन्तु यदि बाजार द्वारा ऐसा हो तो उसे एप्रीशिऐशन कहते हैं।
- **प्रतिकारी शुल्क:** वह अतिरिक्त सीमा शुल्क काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहलाता है जो एक आयतक देश उस स्थिति में लगाता है जब एक निर्यातक देश निर्यात सब्सिडी देकर अपना माल दूसरे देश में बेंचने का प्रयास करता है। उस निर्यात सब्सिडी के प्रभाव को निरस्त करने के उद्देश्य से काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगायी जाती है।
- **आयात प्रतिस्थापन:** ऐसी वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में ही करना जिसका आयात किया जाता है।

ध्यातव्य हो कि

भारत, भारी मात्रा में उर्वरक का आयात करता है। यदि स्वदेशी तकनीक अपनाकर वह उसका उत्पादन भारत में ही करने लगे तो यह प्रक्रिया 'आयात प्रतिस्थापन' कहलाती है। इस प्रक्रिया में एक और विदेशी मुद्रा सुरक्षित होगी और वहीं दूसरी ओर चालू खाते के घाटे को भी कम करने में सहायता मिलेगी। मेक इन इण्डिया योजना आयात प्रतिस्थापन का श्रेष्ठ उदाहरण है।

- **बन्द अर्थ व्यवस्था:** ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दूसरे देशों के साथ कोई आर्थिक लेन देन नहीं होता।
- **आत्म निर्भरता:** आत्म पर्याप्तता का अर्थ है कि देश में ही वे सभी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित करना जो उस देश की आवश्यकता है। अर्थात् अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना ही आत्म पर्याप्ता कहलाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती है।
- **आत्म निर्भरता:** उन सब वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की सामार्थ्य जिनकी देश को आवश्यकता होती है।
- **एंटी डपिंग ड्यूटी:** एक आयातक देश एंटी डपिंग ड्यूटी उस समय लगाता है, जब एक निर्यातक देश अपनी वस्तु उसके यहाँ प्रचलित मूल्य से कम पर बेचकर उसका बाजार खराब करने का प्रयास करता है। अर्थात् यह ड्यूटी घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लगायी जाती है।
- **विदेशी निवेश:** जब कोई देश विकास हेतु आवश्यक संसाधनों को अपने आंतरिक स्रोतों से नही जुटा पाता है, तो उसे देश के बाहर जाकर शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से संसाधनों को जुटाना पड़ता है। शेष विश्व से ये संसाधन ऋण या निवेश के रूप में जुटाये जाते हैं। ऋण के रूप में जुटाए गए संसाधनों पर ब्याज चुकाना पड़ता है, जबकि निवेश की स्थिति में केवल लाभ में हिस्सेदारी देनी होती है। अत: स्पष्ट है कि विदेशी ऋण से बेहतर विदेशी निवेश के द्वारा संसाधन जुटाना लाभप्रद है। भारत में मुख्य रूप से विदेशी निवेश 2 प्रकार से आते हैं: (i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, (ii) पोर्टफोलियो निवेश।

  (i) FDI : किसी देश में औद्योगिक इकाई, कम्पनी या अन्य व्यवसायों की स्थापना या उनके विस्तार के लिये विदेशी निवेशक जो विदेशी पूंजी निवेश करते हैं वह FDI कहलाता है। FDI भी दो प्रकार से किया जाता है। पहला, देश में पहले से मौजूद कंपनी या कारखाने को

खरीद लेना या मिलकर काम करना। दूसरा, विदेशी कंपनियों द्वारा नयी कंपनी एवं कारखानों की शुरूआत करना।

भारत में FDI आने के दो रास्ते हैं — (a) स्वचलित मार्ग (b) सरकार द्वारा प्राप्त अनुमति।

स्वचालित मार्ग के द्वारा FDI में सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसका प्रबंधन RBI द्वारा किया जाता है। जबकि सरकार द्वारा अनुमति का रास्ता FIPB द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

ध्यातव्य हो कि

भारत में प्रत्यक्ष निवेश नीति निर्धारित करने की प्रमुख सरकारी संस्था DIPP (Department of Industrial Policy & Promotion) है।

(ii) Portfolio Investment: यह निवेश FII (विदेशी संस्थागत निवेशक) द्वारा शेयर बाजार, ऋण पत्रों, बाण्ड आदि के क्रय द्वारा किया जाता है।

- **एफडीआई के प्रभाव:**
- भारत में एफडीआई के तीन तरीके से प्रवेश करती है, जो निम्नवत् है— (i) कोई विदेशी कम्पनी घरेलू देश में नई कंपनी शुरू कर यहाँ के बाजार में प्रवेश कर सकती है। (ii) किसी भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बना सकती है। (iii) किसी भारतीय कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक की अंशपूंजी धारित कर सकती है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा निवेशित पूंजी के प्रयोग पर निवेशक का नियंत्रण बना रहता है।
- एफडीआई में निवेशक को उस कंपनी के प्रबंधन में हिस्सा तथा मताधिकार भी प्राप्त होता है।
- एफडीआई का सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे घरेलू देश में भौतिक पूंजी (आधरभूत संरचना) का निर्माण होता है, जो उत्पादन, आय तथा रोजगार पर अनुकूल प्रभाव डालता है।
- **विदेशी संस्थागत निवेश (FII):** ऐसे विदेशी निवेशक, जिन्होंने शेयर बाजार के जरिए भारतीय कंपनियों मे निवेश के लिए सेबी के पास अपना पंजीकरण करवा रखा है, FII कहलाते हैं।
- **यूरोपीय संघ:**
  यूरोपीय संघ की स्थापना मूलत: 6 देशों (बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड तथा प. जर्मनी) द्वारा 25 मार्च 1957 में रोम की संधि के माध्यम से 'यूरोपीय आर्थिक समुदाय' के रूप में की गयी। मास्ट्रिच्च संधि के द्वारा 1993 में इसे पुनर्गठित कर 'यूरोपीय संघ' में परिवर्तित कर दिया गया।

ध्यातव्य हो कि

EU के कुल 28 देश सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य क्रोएशिया है।

- **यूरो ज़ोन:** जिन यूरोपीय देशों में यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया गया उसे सामूहिक रूप से यूरो जोन कहते हैं। यूरो जोन की स्थापना का उद्देश्य एकल मुद्रा प्रणाली अपनाकर एकीकृत वित्तीय नीतियों के द्वारा तीव्र आर्थिक दर सुनिश्चित करना था। वर्तमान में यूरो जोन में 19 देश सदस्य है। 1 जनवरी, 2015 को लिथुआनिया यूरो जोन के नवीनतम सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

ध्यातव्य हो कि

यूरो जोन का विकास क्रम—

16 दिसंबर 1995:	यूरो नाम आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया।
1 जनवरी 1999:	वैश्विक वित्तीय बाजार में लेखा मुद्रा के रूप में स्वीकृत किया गया।
जनवरी 2002:	बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में प्रचलन प्रारंभ हुआ।

- **नियोजन:** पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का महत्तम दोहन करने की प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन है।
- **समावेशी विकास:** समान अवसरों के साथ विकास करना ही समावेशी विकास है, दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसरों की समान पहुंच को सुनिश्चित भी करे। हम उस विकास को समावेशी विकास कह सकते हैं जब यह समाज के सभी सदस्यों की इसमें भागीदारी और योगदान को सुनिश्चित करता है। विकास की इस प्रक्रिया का आधार समानता है। समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं यानी आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, कौशल, विकास, स्वास्थ्य के साथ-साथ एक गरिमामय जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों की सुपुर्दगी भी करना है।
- **सतत/धारणीय विकास:** विकास का ऐसा माडल जिसमें 'प्राकृतिक संसाधनों के ऐसे प्रयोग को महत्व दिया जाता है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर निर्बाध चलता रहे। अर्थात् प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन करना ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग स्वयं के विकास के लिए कर सके।
- **योजना अवकाश:** युद्ध, आपातकाल, वित्तीय संकट एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना को अपनाया जाता है। यह स्थिति ही योजना अवकाश कहलाती है।
- **गैर-संवैधानिक निकाय:** ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में नही है जैसे—योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद।

- **संवैधानिक निकाय:** ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया है जैसे वित्त आयोग, अंतर्राज्यी परिषद (263)।

- **सांविधिक निकाय:** ऐसे निकाय जिनका संविधान के मूल स्वरूप में उल्लेख न हो परन्तु जिन्हें विधेयक पास कर कानून बनाकर, संविधान में जोड़ा गया है जैसे—आरबीआई (आरबीआई अधिनियम 1935), क्षेत्रीय परिषदें (राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956)

    - **सार्वजनिक प्राप्तियां:** किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में सरकार को प्राप्त होने वाली कुल आय 'सार्वजनिक प्राप्तियां' कहलाती है। सरकार की सार्वजनिक प्राप्तियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है: 1. राजस्व प्राप्तियां, 2. पूंजीगत प्राप्तियां

    1. **राजस्व प्राप्तियां:** एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त ऐसी प्राप्तियां जिनके लौटाने का दायित्व सरकार पर नहीं होता जिसके साथ किसी सम्पत्ति की बिक्री नहीं जुड़ी होती राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। यह प्राप्तियां सरकार की आय होती है। राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती है—

        (i) कर राजस्व: विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले राजस्व को, कर राजस्व कहते हैं। जैसे—प्रत्यक्ष कर (आयकर, निगम कर) अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर, उत्पाद शुल्क)

        (ii) गैर कर राजस्व: कर को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय गैर-कर राजस्व कहलाता है। जैसे- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश, सरकार द्वारा वितरित किये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज, फीस तथा जुर्माना से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त अनुदान या सहायता।

    2. **पूंजीगत प्राप्तियां:** पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत ऐसी प्राप्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें लौटाने का दायित्व सरकार का होता है जैसे—आन्तरिक एवं बाह्य ऋण एवं जो ऋण तो नहीं पर देयता अवश्य सृजित करती है जैसे— पेंशन फण्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, प्रोविडेंट फंड। साथ ही ऐसी प्राप्तियां भी पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं जो सरकार पर किसी भी प्रकार के दायित्व का सृजन नहीं करती जैसे—विनिवेश, ऋणों की पुर्नवासी (मूलधन)

    सार्वजनिक व्यय: किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किये जाने वाले कुल व्यय, सार्वजनिक व्यय कहलाते हैं। सरकार के सार्वजनिक व्ययों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है: 1. राजस्व व्यय, 2. पूंजीगत व्यय

    1. **राजस्व व्यय:** राजस्व व्यय वे व्यय है जो सरकारी विभागों तथा सेवाओं को सामान्य रूप से चलाने, विगत वर्षों में लिये गये ऋणों पर ब्याज अदायगी तथा राज्य सरकारों के दिये जाने वाले अनुदान से सम्बन्धित होते हैं। अर्थात ये ऐसे व्यय हैं जिनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में सम्पत्ति या पूंजी का सृजन नहीं होता। राजस्व व्ययों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—(i) योजनागत व्यय (ii) गैर-योजनागत व्यय

        (i) योजनागत व्यय: यह केन्द्रीय योजना को पूरा करने के लिये दी गयी बजेटरी सहायता को व्यक्त करता है। इसमें राज्य तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को उनकी योजनाओं के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। अर्थात् पंचवर्षीय योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि योजनागत व्यय कहलाता है।

        (ii) गैर-योजनागत व्यय: ब्याज अदायगी, सब्सिडी, वेतन, सुरक्षा, पेंशन आदि गैर योजनागत व्यय कहलाता है।

    2. **पूंजीगत व्यय:** ऐसे व्यय जो पूंजी निर्माण करे पूंजीगत व्यय कहलाते हैं, जैसे रेल, पुल, उद्योगों की स्थापना, सड़क निर्माण आदि। पूंजीगत व्ययों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—(i) योजनागत व्यय (ii) गैर-योजनागत व्यय

        (i) योजनागत व्यय: पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन खर्च की जाने वाली राशियां जिससे भविष्य में उत्पादन क्षमता और आय की संभावनाओं का विस्तार होता है। योजनागत व्यय कहलाते हैं।

        (ii) गैर योजनागत व्यय: केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के दिये जाने वाले ऋण और देयतायें। इनसे केन्द्र सरकार की नहीं अपितु राज्य सरकारों की उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि होती है। गैर योजनागत व्यय कहलाते हैं।

- **बजट के प्रमुख घाटे:** भारत के बजट में निम्नलिखित घाटे देखने को मिलते हैं:
    - **राजस्व घाटा:** राजस्व प्राप्तियाँ ↓ – राजस्व व्यय ↑ = राजस्व घाटा
    - **राजकोषीय घाटा:** राजस्व घाटा + ब्याज भुगतान = राजकोषीय घाटा
    - **प्राथमिक घाटा:** राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान = प्राथमिक घाटा
    - **जुड़वा घाटा:** राजकोषीय घाटा – चालू खाता घाटा = जुड़वा घाटा

- **संचित/समेकित कोष:** अनुच्छेद 266(i) के अनुसार भारत का समेकित कोष वह कोष है जिसमें सरकार, कर तथा ऋण आदि से प्राप्त आय को रखती है। तथा अपने संपूर्ण व्यय भी इसी कोष से करती है। संसद की स्वीकृति के बिना इस निधि में से कोई रकम नहीं निकाली जा सकती।

- **आकस्मिक कोष:** अनुच्छेद 267 के अनुसार यह अप्रत्याशित और आकस्मिक व्ययों को पूरा करने वाला कोष है जो केन्द्र सरकार के सम्बन्ध में राष्ट्रपति तथा राज्य सरकार के सम्बन्ध में राज्यपाल के पास प्रयोग हेतु रहता है। ऐसे व्ययों को आकस्मिक कोष से निकासी के द्वारा पूरा कर लिया जाता है बाद में संसद से अधिकृत होने पर संचित कोष से निकालकर इसमें पुन: वापस डाल दिया जाता है।

- **सार्वजनिक/लोक खाता:** अनुच्छेद 266(2) के अनुसार करों से प्राप्त आमदनी के अतिरिक्त सरकार के पास कुछ ऐसी धनराशि भी

होती है जिसकी वह मालिक नहीं केवल ट्रस्टी होती है और जिसे वह निर्धरित समय पर नियमानुसार ब्याज के साथ लौटा देती है। चूंकि यह धन देर सवेर सरकार को सम्बन्धित पक्षों को लौटाना पड़ता है। इसलिए इस पर संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

- **वित्त विधेयकः** नए करों को लागू करने, पुराने करों में घटत-बढ़त या उन्हें यथावत् रखने के बारे में सरकारी प्रस्ताव वित्त विधेयक कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार वित्त विधेयक एक धन विधेयक है जो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर केवल लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

ध्यातव्य हो कि

राज्य सभा न तो धन विधेयक को रद्द कर सकती है और न ही संशोधन कर सकती है, उसे 14 दिन के भीतर विधेयक को लौटाना होता है अन्यथा वह अपने मूल स्वरूप में पारित हुआ मान लिया जाता है।

- **विनियोग विधेयकः** संसद द्वारा स्वीकृत बजट में से आवश्यक धनराशि निकालने के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहते हैं।
- **पूरक बजटः** यदि कभी बजट में स्वीकृत धनराशि 31 मार्च से पहले समाप्त हो जाती है तो उस स्थिति में सरकार संसद के सम्मुख पूरक बजट प्रस्तुत करती जिसमें शेष समय के लिए अतिरिक्त धन की मांग की जाती है।
- **लेखानुदानः** चुनाव के दौरान और जब तक नयी सरकार बन नही जाती तब तक काम चलाऊसरकार को सार्वजनिक व्यय (जैसे वेतन आदि) के लिए धन की आवश्यकता होती है। चूँकि भारतीय संविधान के अनुसार, संसद की स्वीकृति के बिना सरकार कोई धन व्यय नहीं कर सकती, ऐसे में कुछ महीनों का व्यय करने के लिए सरकार 'लेखानुदान' के द्वारा संसद की स्वीकृति लेती है।
- **अंतरिम बजटः** आम चुनाव के पहले प्रस्तुत होने वाले बजट को 'अंतरिम बजट' कहते है। आमतौर पर इस बजट में कर और शुल्क ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता और न ही कोई नयी स्कीम घोषित की जा सकती है परंतु पुरानी योजना का विस्तार एवं उन पर धन आवंटन किया जा सकता है।

ध्यातव्य हो कि

लेखानुदान, बजट के व्यय तक सीमित होता है जबकि अंतरिम बजट व्यय के साथ प्राप्तियों को भी शामिल करता है।

- **जेंडर बजटिंगः** इस बजट के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट मे एक नियमित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रावधान किये जाते है।
- **करः** वह अनिवार्य राशि कर कहलाती है, जो सरकार के द्वारा अपने नागरिकों से लिया जाता है।
- **शुल्कः** जब सरकार द्वारा प्रदत्त किसी सेवा के बदले, जिससे प्राप्त होने वाला लाभ स्पष्ट है अनिवार्य अंशदान किया जाता है तो उसे फीस कहते हैं।
- **ड्यूटीः** ड्यूटी परोक्ष रूप से लाभान्वित होने के कारण लिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है।
- **प्रत्यक्ष करः** हम उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ को दूसरे पर टाला ना जा सके। जिनके सम्बन्ध में कर से उत्पन्न कराघात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। जैसे—आयकर, निगम कर।

ध्यातव्य हो कि

- **कराघात**—कर का मौद्रिक भार जो व्यक्ति अदा करता है, माना जाता है कि कराघात उस व्यक्ति पर हुआ है।
- **करापात**—कर का मौद्रिक भार कर अदा करने वाले व्यक्ति पर न पड़कर जब किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, तो उसे करापात कहते हैं।

- **अप्रत्यक्ष करः** अप्रत्यक्ष कर में कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है जो उसे अदा करता है। अर्थात् अप्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात भिन्न-भिन्न व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे-सेवा कर, उत्पाद शुल्क।
- **वस्तु एवं सेवा करः** यह टैक्स केन्द्र व राज्यों द्वारा लगाये गये 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी, कस्टम के विशेष अतिरिक्त शुल्क, वैट/बिक्री कर, मनोरंजन कर, जकात और प्रवेश कर, खरीद कर विलास-कर खत्म हो जायेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं पर केवल तीन तरह के टैक्स वसूले जायेंगे—**पहलाः** केन्द्रीय जी.एस.टी. जो केन्द्र सरकार वसूलेगी, **दूसराः** राज्य जी.एस.टी. जो राज्य सरकार अपने यहाँ होने वाले कारोबार पर वसूलेगी और **तीसराः** एकीकृत जी.एस.टी. कोई कारोबार अगर दो राज्यों के बीच होगा तो उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी वसूली जायेगी जो केन्द्र सरकार वसूलेगी और दोनों संबंधित राज्यों में समान अनुपात में बांटेगी। इस प्रकार यह एक समन्वित कर है अर्थात् जब जीएसटी की बात की जाती है तो इसका मतलब एक ऐसी नई व्यवस्था से है, जिसमें कराधन बहुत ही सरल हो जाता है, करों की दरें भी कम हो जाती है, कराधान के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाते हैं और करों से प्राप्त होने वाला राजस्व कई गुना बढ़ जाता है।

- **प्रत्यक्ष कर संहिता:** प्रत्यक्ष कर संहिता में सभी प्रत्यक्ष करों, जैसे— आयकर, लाभांश वितरण कर, अनुषंगी लाभ कर और संपत्ति कर से संबंधित कानूनों को समेकित तथा संशोधित किया जाना है, ताकि एक किफायती रूप से दक्ष, प्रभावी और साम्य योग्य प्रत्यक्ष कर प्रणाली स्थापित की जा सके। तथा प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को बढ़ाने में सहायता करें। इसका एक अन्य उद्देश्य विवादों के विस्तार को कम करना और मुकदमों को न्यूनतम रखना है। यह संहिता वर्ष 1961 की आयकर अधिनियम का स्थान लेगा।
- **आयकर:** आयकर व्यवसाय के अन्य रूपों पर अथवा व्यक्तियों, निगमों द्वारा उपार्जित आय पर वसूल किया गया प्रत्यक्ष कर होता है। भारतीय संविधान ने आयकर की वसूली करने व उसे एकत्रित करने के लिए केवल केन्द्र सरकार को ही शक्ति प्रदान की है। सरकार द्वारा गठित आयकर विभाग को **केन्द्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड** (सीबीडीटी) द्वारा शासित किया जाता है। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक भाग है।
- **सीमा शुल्क:** सीमा शुल्क भारत में आयायतित वस्तुओं तथा भारत से बाहर निर्यातित वस्तुओं पर वसूला जाता है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। वर्तमान में सीमा शुल्क का प्रत्यक्ष संबंध आयात से होता है। अर्थात् देश अपने निर्यात पर यदि कर लगाता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं की मांग पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।
- **निगम कर:** निगम कर वह कर होता है, जो पंजीकृत कंपनियों और निगमों की आय पर वसूल किया जाता है।

ध्यातव्य हो कि

भारत में कंपनियों को, चाहे वे सार्वजनिक अथवा निजी हों, कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित किया जाता है कंपनी पंजीयक (रजिस्ट्रार) और कंपनी कानून बोर्ड अधिनियम के प्रावधनों को लागू करता है।

- **उत्पाद शुल्क:** केन्द्रिय उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो उन चीजों पर लगाया जाता है जिन का उत्पादन भारत में होता है और जो घरेलू खपत के लिए बनाये जाते हैं। यह विनिर्माण पर कर हैं जिसका भुगतान विनिर्माता (उत्पादक) द्वारा किया जाता है परन्तु उसका वास्तविक मौद्रिक भार उपभोक्ताओं पर हस्तान्तरित कर दिया जाता है।
- **सेवा कर:** सेवा कर किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं पर लगाया जाता है और इस कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता (सेवा प्रदान करने वाला) की होती है यह एक अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह सेवा प्रदाता द्वारा उसके व्यावसायिक लेने देने की अवधि में सेवा प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाता है।

ध्यातव्य हो कि

- भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V द्वारा वर्ष 1994 में शुरू किया गया है। वर्ष 1994 में प्रारंभिक रूप से यह कर तीन सेवाओं पर लगाया गया था और तब से सेवा कर का कार्य क्षेत्र लगातार वित्त अधिनियमों द्वारा निरंतर बढ़ाया जा रहा है।
- वित्त अधिनियम के तहत सेवा कर की उगाही जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में की जाती है।
- वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के तहत केन्द्रिय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) सेवाकर लगाने और वसूल करने से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य करता है।

- **गरीबी का दुश्चक्र:** प्रो. रागनर नर्क्से द्वारा प्रतिपादित इस अवधरणा के अनुसार- एक अल्पविकसित देश गरीबी के दुष्चक्र मे फंसा होता है और यह दुष्चक्र अनेक शक्तियों का एक ऐसा घेरा होता है जो एक-दूसरे के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं कि निर्धन सदैव निर्धन बना रहता है। एक देश की गरीबी ही उसके गरीबी का कारण है अर्थात एक देश गरीब है क्योकि वह गरीब है। प्रो. नर्क्से के अनुसार- निर्धनता के दुष्चक्र के विभिन्न कारकों मे से सबसे प्रमुख कारक 'पूँजी का अभाव' है क्योंकि पूंजी का अभाव निवेश को प्रभावित करता है जिससे उत्पादन, रोजगार एवं आय तीनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

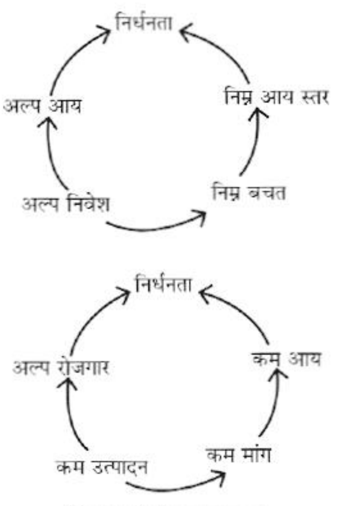

चित्र गरीबी का दुश्चक्र

- **निर्धनता जाल:** वह स्थिति निर्धनता जाल कहलाती है जिसमे 'सामाजिक सुरक्षा' जैसे—बेरोजगारी भत्ता, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के अंतर्गत सरकार से राहत पाने वाला व्यक्ति रोजगार की तलाश ही करना बंद कर देता है क्योंकि उसे जो रोजगार प्राप्त

ध्यातव्य हो कि

सीमा शुल्क को आयात शुल्क भी कहा जाता है, यह कर सरकार के लिए एक टूल का कार्य करता है अर्थात् मूलभूत आवश्यकताओं वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क कम होता है ताकि वस्तुओं के मूल्य आम जनता के लिए कम हो सकें। साथ ही विलासिता पूर्ण वस्तुओं पर आयात शुल्क की दरें अधिक रखी जाती हैं ताकि देशीय वस्तुओं की कीमत कम होने के कारण उनकी मांग अधिक हो सके। सरकार आयात शुल्क का प्रयोग किसी वस्तु के आयात को कम करने के उद्देश्य से बढ़ा देती है। जैसे—स्वर्ण के आयात की मांग कम करने के उद्देश्य से आयात शुल्क को बढ़ाया गया है।

होता है, उससे मिलने वाला पारिश्रमिकी सरकार द्वारा दिए गए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्राप्त भुगतान से भी कम होता है। ऐसी स्थिति मे, निर्धन व्यक्ति काम करने की अपेक्षा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सरकार से भत्ता लेना अधिक उपयुक्त समझते हैं।

- **गिनी गुणांक:** समाज में व्याप्त आय एवं सम्पत्ति के असमान वितरण की माप 'सांख्यिकी' आधार पर करना कहलाता है यदि मान 'शून्य' है तो समाज के सभी व्यक्तियों की आय समान मानी जायेगी। इसके विपरीत यदि का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि समाज में कुछ वर्ग विशेष के पास देश की समस्त आय केंद्रित है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि—का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता भी उतनी ही अधिक होगी इसके विपरीत का मान जितना कम होगा (या शून्य) वहाँ सभी व्यक्तियों की आय को समान माना जायेगा।

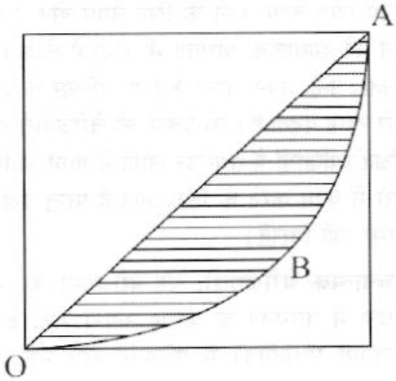

- **लारेंज़ वक्र:** यह वक्र कुल आय व आय प्राप्तकर्ताओं के मध्य व्याप्त विषमता को दर्शाता है। इस वक्र के अनुसार यह ज्ञात किया जाता है कि देश की कुल आय में 50% या 60% आबादी को कितना भाग मिल रहा है तथा 5% या 10% धनी लोगों को कुल आय का कितना भाग मिल रहा है।

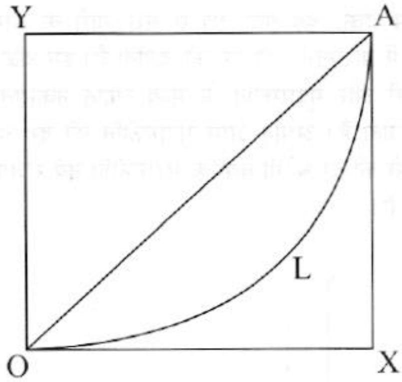

ध्यातव्य हो कि

लारेंज़ वक्र समानता रेखा से जितना दूर होगा समाज में आय के वितरण में विषमता उतनी ही अधिक होगी।

- **वेबरीज वक्र:** यह वक्र किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्ध्ता के स्तर के बीच का संबंध वक्र द्वारा प्रदर्शित करता है।

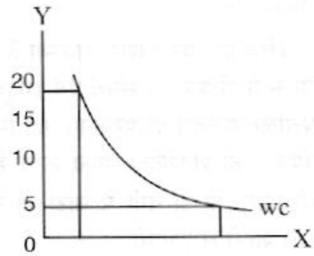

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि यदि अर्थव्यवस्था मे बेरोजगारी की दर अधिक है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था मे नये रोजगार सृजन की दर कम और जिससे रोजगार की उपलब्धता सीमित है और यदि इसके विपरीत देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर कम है तो इसका सीधा अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे नये रोजगार सृजित हो रहे है और रोजगार की उपलब्धता बनी हुयी है।

ध्यातव्य हो कि

बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर में विपरीत संबंध होता है।

- **फिलिप्स वक्र:** यह वक्र देश में बेरोजगारी के स्तर और मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। इस वक्र के माध्यम से बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य व्याप्त नकारात्मक संबंध को दर्शाया जाता है। अर्थात् अगर मुद्रास्फीति की दर अधिक होगी तो बेरोजगारी की दर घटेगी क्योंकि मुद्रास्फीति नये रोजगार के सृजन मे सहायक है।

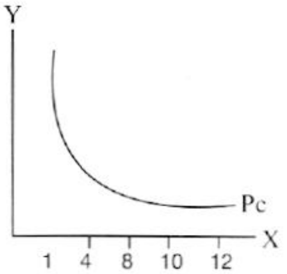

- **गरीबी:** गरीबी को आमतौर पर न्यूनतम स्तर वाली आय में रहने वालो और कम उपभोग करने वालों के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यक्तियों या परिवारों द्वारा जो स्वास्थ्य, सक्रिय और सभ्य जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाते, को गरीब कहा जाता है। साक्षरता, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर, कुपोषण, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में उत्पन्न अभाव को भी गरीबी के तौर पर माना जाता है।
- **बेरोजगारी:** बेरोजगारी वह विशेष अवस्था है जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने मे समर्थ एवं इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मानकों व प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता। बेरोजगारी कुल उपलब्ध कार्यबल की प्रतिशतता व्यक्त करता है।

  भारत में बेरोजगारी को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—(i) ग्रामीण बेरोजगारी (ii) शहरी बेरोजगारी

  (i) ग्रामीण बेरोजगारी

  - **अदृश्य/प्रच्छन्न बेरोजगारी:** अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि क्षेत्र में पाई जाती है जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। कारण, लोगों की खेती में उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह की बेरोजगारी में श्रमिक यद्यपि ऊपरी तौर पर रोजगार मे लगे दिखाई देते हैं, परंतु सब लोगों को पर्याप्त मात्रा में कार्य नहीं मिल पाता। किसी कार्य को करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कुछ श्रमिकों को काम पर से हटा लिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कमी नहीं आएगी। यह स्थिति ही अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है।
  - **मौसमी बेरोजगारी:** भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली दूसरी तरह की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी है। इसका कारण यह है कि खेती एक मौसमी व्यवसाय है अर्थात खेती में मौसम के अनुसार फसलें बोई जाती है। खाली मौसम में प्राय: खेती में काम करने वाले कृषकों के पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अलावा और भी कई मौसमी कार्य हैं जैसे गन्ना पिराई, ईटों के भट्टे आदि। इन कार्यों में लगे हुए श्रमिकों को वर्ष के केवल कुछ महीनों तक काम मिलता है। शेष समय के लिए ये बेकार रहते हैं।

(ii) शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी

- **औद्योगिक बेरोजगारी:** औद्योगिक बेरोजगारी में उन गैर-साक्षर व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो उद्योगों, खनिज, यातायात, व्यापार, निर्माण आदि व्यवसायों में काम करना चाहते हैं। इस तरह की समस्या जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जाती है इसके अलावा शहरों में औद्योगीकरण के कारण जनसंख्या गांवों से पलायन कर शहरों की ओर आती है। इससे भी श्रमिकों की पूर्ति बढ़ने से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त विकसित देशों की तरह भारतीय उद्योगों में मशीनीकरण बढ़ने और श्रम बचत विधियों का उपयोग करने से औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है।
- **शिक्षित बेरोजगारी:** भारत में आज साक्षरता दर बढ़ती हुई लगभग 73 प्रतिशत तक पहुंच गई है। बावजूद इसके भारतीय शिक्षण प्रणाली रोजगार प्रेरक नहीं है। यह केवल उपाधि प्रेरक है, इसलिए शिक्षित लोग कई व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त होते है।

(iii) भारत के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पायी जाने वाली बेरोजगारी

- **खुली बेरोजगारी:** वह स्थिति खुली बेरोजगारी कहलाती है जिसमें लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं तथा उनमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। उन्हें अपनी आय के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी खेतिहर श्रमिकों, शिक्षित व्यक्तियों में तथा उन लोगों में पायी जाती है जो गांवों से शहरों में काम करने के लिए आते है परन्तु उन्हें काम करने के अवसर नहीं मिलते।
- **संरचनात्मक बेरोजगारी:** वह बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इस तरह की बेरोजगारी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है।
- **अल्प रोजगार:** जब एक व्यक्ति को अपेक्षित समय से कम समय के लिए काम मिलता है अथवा वर्ष भर में कुछ माह के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है तो उसे अल्परोजगार की स्थिति कहते हैं।
- **चक्रीय बेरोजगारी:** चक्रीय उतार चढ़ावों या परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती

है। आर्थिक तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी तथा आर्थिक पुनरुत्थान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान है।

मंदी—आर्थिक तेजी की स्थिति मे आर्थिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा हो जाता है।

सुस्ती—आर्थिक सुस्ती की स्थिति में अर्थव्यवस्था मे समग्र मांग के घटने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

आर्थिक मंदी—आर्थिक मंदी वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग में बहुत अधिक गिरावट हो जाती है, इस स्थिति में उत्पादक वर्ग को उत्पादन एवं रोजगार सृजन में कमी करनी पड़ती है। यह क्रम ही चक्रीय बेरोजगारी कहलाता है।

पुनरुत्थान—आर्थिक पुनरुत्थान वह अवस्था है जिसमें आर्थिक गतिविधियां फिर से उभरना शुरू करती है, समग्र मांग में वृद्धि होने लगती है और पुनः उत्पादक वर्ग निवेश एवं नये रोजगार सृजन हेतु प्रेरित होने लगते हैं।

- **सन्तानोत्पादकता**: किसी स्त्री में बच्चों को जन्म देने की शक्ति 'सन्तानोत्पादकता' कहलाती है। चाहे उसने बच्चे को जन्म दिया हो या न दिया हो।
- **प्रजननशीलता**: किसी स्त्री या उनके समूह के द्वारा किसी निश्चित समयावधि में कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या से है।
- **आश्रितता अनुपात**: $DR = \frac{D}{K} K$

DR (Dependency ratio)—आश्रितता अनुपात

D (Dependent)—आश्रित जनसंख्या (0-14 वर्ष तथा 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या को शामिल किया जाता है)

W (Working)—कुल कार्यशील जनसंख्या (15 से 59 वर्ष के लोगो को शामिल किया जाता है)

K—1000 (आश्रितता अनुपात को 1000 में व्यक्त किया जाता है)

- **साक्षरता दर**: $LR = \frac{L}{7+P} \times 100$

LR (Literacy rate)—साक्षरता दर

L (Literate)—साक्षर व्यक्तियों की संख्या

7 + P (Population)—7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या

- **लिंग अनुपात**: प्रति 1000 पुरूषों पर, स्त्रियों की संख्या 'लिंग अनुपात' कहलाता है।

$$\text{लिंग अनुपात} = \frac{\text{महिलाओं की कुल संख्या}}{\text{पुरुषों की कुल संख्या}} \times 100$$

- **शिशु लिंगानुपात**: 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में, उसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या को 'शिशु लिंगानुपात' कहते हैं।

$$\text{शिशु लिंगानुपात} = \frac{\text{बालिकाओं की संख्या (0-6 वर्ष)}}{\text{बालकों की संख्या (0-6 वर्ष)}} \times 100$$

- **दशकीय वृद्धि दर**: 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को 'दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर' कहते हैं।

$$\text{दशकीय वृद्धि दर} = \frac{\text{वर्तमान जनसंख्या - पूर्व जनसंख्या}}{\text{पूर्व जनसंख्या}} \times 100$$

- **अशोधित एवं संशोधित जन्म दर**: किसी वर्ष विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच के अनुपात को 'अशोधित जन्म दर' कहते हैं।

ध्यातव्य हो कि

अशोधित जन्म दर में केवल पंजीकृत बच्चों को शामिल किया जाता है। जबकि अपंजीकृत कुल बच्चों का 5% और जोड़ देने पर 'संशोधित जन्म दर' प्राप्त होती है।

- **शिशु मृत्यु दर**: किसी निश्चित वर्ष में एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या का अनुपात 'शिशु मृत्यु दर' कहलाता है।
- **नगरीय क्षेत्र**: नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे सभी स्थान सम्मिलित किए गए हैं जहां 2001 की जनगणना के अनुसार-
  - नगर पालिका
  - नगर निगम
  - छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र आदि स्थापित हो।

  इसके अतिरिक्त ये नगरीय क्षेत्र एक साथ तीन अन्य विशेषताएं पूरी करते हो, जो निम्नवत् है-

  (i) वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो।
  (ii) कार्यशील पुरूषों का न्यूनतम 75% गैर-कृषि कार्यों में नियोजित हो।
  (iii) जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो।

ध्यातव्य हो कि

ऐसे नगर जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, 'शहर' (City) की संज्ञा दी जाती है।

- **औद्योगिक श्रेणी**: 2001 की जनगणना के अनुसार दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक उद्यम कर्मियों को चार श्रेणी में विभक्त किया जाता है:

  (i) काश्तकार (ii) खेतिहर मजदूर
  (iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी (iv) अन्य कार्यकर्ता

ध्यातव्य हो कि

दीर्घकालिक कर्मी ऐसे कर्मी है जिन्होंने 6 महीने या उससे अधिकांश भाग में कोई कार्य किया हो जबकि अल्पकालिक कर्मी ऐसे कर्मी है जिन्होंने 6 महीने की अवधि के अधिकांश भाग में कोई कार्य नहीं किया हो।

- **कार्य सहभागिता दर:** कार्य सहभागिता दर (WPR) से तात्पर्य कुल जनसंख्या की तुलना में कुल कर्मी (दीर्घ एवं अल्पकालिक कर्मी) की प्रतिशत सहभागिता से है:

$$\text{WPR} = \frac{\text{कुल कर्मी (दीर्घ एवं अल्पकालिक)}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 100$$

- **मेगा सिटी:** संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार-'ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन (1 करोड़) से अधिक है, उन्हें मेगा सिटी कहते हैं।' भारतीय जनगणना 2011 में इस अवधरणा को स्वीकार किया गया। इस प्रकार देश में कुल 3 मेगा सिटी हैं—1. बृहत् मुम्बई, 2. दिल्ली, 3. कोलकत्ता

ध्यातव्य हो कि

2011 की जनगणना से पहले 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा सिटी कहा जाता था।

- **भारत में नगरों का विभाजन:** भारतीय जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत् है:

नगर वर्ग	जनसंख्या	विशेषता
प्रथम वर्ग-I	1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर	जनगणना में इन्हें ही शहर कहा गया है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक भाग, I श्रेणी के नगरों में रहता है जहाँ की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।
द्वितीय वर्ग-II	50,000 से 99,000 तक	जनसंख्या में तीव्र वृद्धि
तृतीय वर्ग-III	20,000 से 49,000 तक	जनसंख्या में तीव्र वृद्धि
चतुर्थ वर्ग-IV	10,000 से 19,999 तक	लघु नगर
पंचम वर्ग-V	5000 से 9,999 तक	लघु नगर
षष्ठम वर्ग-VI	5000 से कम	लघु नगर

- **जनांकिकीय लाभांश:** जनांकिकीय लाभांश से तात्पर्य देश की कुल जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या का अधिक होने से है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यकारी जनसंख्या कहते है जो कि एक उत्पादक है।

ध्यातव्य हो कि

चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है परन्तु भारत कार्यकारी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यदि इस जनसंख्या की कुशलता को प्रोत्साहित किया जाये तो भारत की अर्थव्यवस्था में अमूलचूक विकास परिवर्तन जैसे परिणाम देखने को मिलेंगे।

- **आश्रित आबादी:** जनसंख्या के पिरामिड में 0-14 वर्ष के तथा 65 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते है जबकि 15 से 64 वर्ष के आयु समूह कार्यकारी जनसंख्या कहलाती है।
- **जनसंख्या विस्फोट:** उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहलाती है।
- **माल्थस जनसंख्या सिद्धान्त**

  सिद्धान्त का प्रतिपादन: इंग्लैण्ड के निराशावादी अर्थशास्त्री सर थॉमस राबर्ट माल्थस ने 1792 मे अपने लेख, An Esay on the Principles of Population, मे किया।

  सिद्धान्त: जनसंख्या की वृद्धि 'गुणोत्तर श्रेणी' अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32 की दर से बढ़ती है जबकि जीविकोपार्जन के साधन 'समानान्तर श्रेणी' अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 की दर से बढ़ती है।